जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित **मेसनरी स्टोन खनन परियोजना, मैसर्स श्री रामेश्वरलाल माली पुत्र सोहन लाल, रेफरेंस नं. 20221000061331, एम.एल. नं. 25/2022, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.0011 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 90250 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– 85737.5 टीपीए, अपशिष्ट–4512.5 टीपीए) और मिट्टी– 16245 टीपीए, खसरा नं. 145, गांव– दूजार, तहसील– लाडनूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन के प्रतिनिधि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर के प्रतिनिधि श्री हेमन्त कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता की उपस्थिति में **सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील–लाडनू, जिला–डीडवाना–कुचामन में दिनांक 03/06/2026 को दोपहरः 12:30 बजे** आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र **"दैनिक भास्कर" में दिनांक 29/04/2026 एवं "द इंडियन एक्सप्रेस" में दिनांक 28/04/2026** को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है। श्री हेमन्त कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर के क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर

सहायक पर्यावरण अभियंता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होने हेतु स्वीकृति पत्र **परिशिष्ट "स"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर के प्रतिनिधि ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स श्री रामेश्वरलाल माली पुत्र सोहन लाल, के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **श्री गोविन्द एनवायरमेंन्टल सर्विसेस** को आंमत्रित किया गया।

सहायक पर्यावरण अभियंता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **श्री गोविन्द एनवायरमेंन्टल सर्विसेस** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना गांव– दूजार, तहसील– लाडनूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.)–में खनिज– मेसनरी स्टोन खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका–रेफरेंस नं. 20221000061331, एम.एल. नं. 25/2022, **प्रस्तावित क्षेत्र– 1.0011 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 90250 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– 85737.5 टीपीए, अपशिष्ट–4512.5 टीपीए) और मिट्टी– 16245 टीपीए, खसरा नं. 145, गांव– दूजार, तहसील– लाडनूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) में स्थित है,** में मेसनरी स्टोन खनन परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जनसमूह से पूछा गया कि क्या प्रस्तावित खनन क्षेत्र अथवा क्लस्टर क्षेत्र में स्थित किसी खनन पट्टे का कोई पट्टाधारक जनसुनवाई में उपस्थित है। इस पर उपस्थित जनसमूह द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई पट्टाधारक जनसुनवाई में उपस्थित नहीं है। तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के संबंध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्तियाँ मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सहायक पर्यावरण अभियंता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम दुजार क्षेत्र में लगभग 12 खनन पट्टे वर्तमान में संचालित हैं। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से पूछा कि क्या उक्त खनन पट्टाधारकों द्वारा ग्राम के विकास, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, चिकित्सा संस्थानों अथवा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास हेतु निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के अंतर्गत कोई कार्य करवाया गया है तथा क्या इस संबंध में उपस्थित जनसमूह में से किसी व्यक्ति को कोई जानकारी है।

सेवानिवृत्त सूबेदार श्री रामेश्वर लाल, जो उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परियोजना प्रस्तावक हैं, ने अपने वक्तव्य में कहा कि खनन परियोजना के संचालन प्रारम्भ होने के उपरान्त वे प्रस्तावित सी.एस.आर. गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग रू. 1–60 लाख व्यय करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि खनन कार्य के दौरान पर्यावरणीय मानकों एवं शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी तथा धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव का उपाय अपनाया जाएगा।

इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिवर्ष लगभग रू. 1–60 लाख की राशि निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधियों पर व्यय किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने आगे कहा कि ग्राम दुजार क्षेत्र में लगभग 12 खनन पट्टे वर्तमान में संचालित हैं तथा प्रत्येक खनन पट्टाधारक द्वारा भी समय–समय पर सी. एस.आर. मद में व्यय किया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ में उन्होंने उपस्थित जनसमूह से पूछा कि ग्राम में उपलब्ध विकास कार्यों को देखते हुए क्या उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि खनन पट्टाधारकों द्वारा सी.एस.आर. मद में व्यय की गई राशि का लाभ ग्राम के विकास में परिलक्षित हुआ है अथवा नहीं।

सहायक पर्यावरण अभियंता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

श्री भगवती प्रसाद निवासी ग्राम दूजार ने बताया कि हाल ही में विद्यालय परिसर में एक बड़े टीनशेड का निर्माण कराया गया है, जिसके लिए क्षेत्र में संचालित खनन पट्टाधारकों द्वारा अपनी स्वेच्छानुसार आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। उन्होंने बताया कि उक्त निर्माण कार्य में खनन पट्टाधारकों का योगदान रहा है।

इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि ग्राम दूजार क्षेत्र में संचालित खनन पट्टाधारकों से उनके द्वारा विगत वर्षों में निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) अथवा जनहित विकास कार्यों पर किए गए व्यय का विवरण प्राप्त किया जाए तथा आगामी ग्राम सभा की बैठक में उक्त विवरण ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तुत करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए, जिससे ग्रामीणों को खनन पट्टाधारकों द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं व्यय की जानकारी उपलब्ध हो सके।

इस पर क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशानुसार ग्राम दूजार क्षेत्र में संचालित खनन पट्टाधारकों से उनके द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) एवं अन्य जनहित विकास कार्यों पर किए गए व्यय का विवरण प्राप्त कर आगामी ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करवाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित समस्त जनसमूह से प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्तियाँ मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर श्रीमान

सहायक पर्यावरण अभियंता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया।

श्री हेमन्त कुमार,
सहायक पर्यावरण अभियंता ,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

श्री विकास मोहन भाटी,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.),
डीडवाना–कुचामन

उपस्थिति पंजिका

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री रामेश्वरलाल माली पुत्र सोहन लाल, रेफरेंस नं. 20221000061331, एम. एल. नं. 25/2022, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.0011 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 90250 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– 85737.5 टीपीए, अपशिष्ट–4512.5 टीपीए और मिट्टी– 16245 टीपीए), खसरा नं. 145, गांव– दूजार, तहसील– लाडनूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) में स्थित है।

स्थानः– सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील–लाडनू, जिला डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः 03.06.2026, समयः दोपहरः 12:30 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	विकास मोहन भाटी	ADM Didwana	vikas
2.	Hemant Kumar	AEE, RSPCB RO Nagaur	[signature]
3	आशुतोष देव पाण्डेय	TDR Ladnun	[signature]
4	जयदीप सिंह	श्री गोविन्द पर्यावरण जयपुर	[signature]
5	रामूराम	दुजार	रामूराम
6	मुकेश गुर्जर गौड़	निम्बी जोधा	मुकेश
7	घनश्याम चौहान	निम्बी जोधा	घनश्याम चौहान
8	किशन गोपाल शर्मा	दुजार	किशन गोपाल शर्मा
9	मो० अकराम	दुजार	Akram
10	राजेन्द्र कुमार माली	दुजार	राजेन्द्र कुमार
11	भंवरलाल s/o धर्मदास स्वामी	दुजार	[thumb impression]
12	भगवती प्रसाद	दुजार	B. Saini
13	राजेन्द्र कुमार माली	दुजार	Rajendra
14	विक्रम पवांर	दुजार	V.R. Pawar
15	जितेन्द्र कुमार सैनी	दुजार	Saini
16	शिवनारायण	भाकरोद	शिवनारायण
17	सम्पत लाल	दुजार	सम्पत
18	रामेश्वर लाल	दुजार	[signature / thumb impression]
19	सोनाराम	दुजार	
20	महावीर सैनी	दुजार	महावीर
21	जितेन्द्र माली	दुजार	J Mali

उपस्थिति पंजिका

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री रामेश्वरलाल माली पुत्र सोहन लाल, रेफरेंस नं. 20221000061331, एम. एल. नं. 25/2022, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.0011 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 90250 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– 85737.5 टीपीए, अपशिष्ट–4512.5 टीपीए और मिट्टी– 16245 टीपीए), खसरा नं. 145, गांव– दूजार, तहसील– लाडनूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) में स्थित है।

स्थानः– सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील–लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः 03.06.2026, समयः दोपहरः 12:30 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
22	मूलचन्द शर्मा	निम्बीजोधा	मूलचन्द
23	भंवर सिंह	उदरासर चक दुजार	[signature]
24	सीताराम जी स्वामी	दुजार	
			[thumbprint]
25	Poonam Rathore	SGES Jaipur	[signature]
26	कुलदीप सिंह	लाडनूं	[signature]
27	राजवीर	डींगावास	Rajveer
28	मोहनराम यादव	दुजार	मोहनराम यादव
29	सीमा यादव	दुजार (सरपंच)	सीमा यादव
30	नवरतन स्वामी	दुजार	नवरतन स्वामी
31	गिरधारी यादव	दुजार	गिरधारी
32	Dharmal	Dujar	[signature]
33	फूलसिंह	कोयल	[signature]

विभिन्न तिथियों पर किया जाएगा। पुरुष वर्ग के लिए 29 अप्रैल से 1 मई तक क्रिकेट, बैडमिंटन और शतरंज जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। क्रिकेट प्रतियोगिता स्थानीय सुभाषचंद्र स्टेडियम परबतसर में अध्यक्षा मंजू व्यास ने बताया कि महिला वर्ग के लिए 2 मई प्रातः 11 बजे से दाधीच वाटिका मे चेयर रेस, मेहंदी, सोलह श्रृंगार, फास्ट साड़ी पहनना, चम्मच दौड़ तथा रंगोली प्रतियोगिता शामिल हैं। सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा । जिसमें स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा नृत्य, संगीत एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जिसमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता अपेक्षित है।

वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर परिसर में मंगलवार को 33वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। राकेश करवा ने बताया कि मंदिर स्थापना को 32 वर्ष पूर्ण होने पर 33वें प्राकट्य उत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को सुबह से ही धार्मिक आयोजन शुरू हुए। भगवान को पकवानों का भोग लगाया गया व महाआरती कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया।

ा को उपाध्यक्ष बने

कारिणी में मौजूद सदस्य।

ाथूराम कामड को संगठन मंत्री, ारायण राम भालाण को प्रचार मंत्री, ंजू बुगालिया को महिला मंत्री तथा ॉ. जगदीश प्रसाद सेलवाड को विधि लाहकार बनाया गया। वहीं महेश ुमार बंजारा और डुंगाराम लाडना को जला समिति सदस्य नियुक्त किया या। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में ाध्यापक पद पर पदोन्नत हुए महेश ंजारा का संगठन की ओर से सम्मान ी किया गया।

इस अवसर पर जिला सभा अध्यक्ष भंवरलाल रिया ने संगठन की मजबूती और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में भंवरलाल बुगालिया, ोदूलाल बुनकर, सुरेश कुमार, प्रदेश तिनिधि नटवरलाल डांगी और मुराड ाम उपस्थित रहे।

96 रन से रोल को हरा खारिया खंगार चैम्पियन

भास्कर न्यूज | गोटन

कस्बे के निकटवर्ती शिव गांव में चल रही शिव रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल सोमवार को वीर तेजा क्रिकेट क्लब खारिया खंगार और डीएनडी क्लब रोल चांदावता के बीच खेला गया। आयोजनकर्ता सुरेंद्र पूनिया व ललित सिंह ने बताया कि टॉस जीतकर रोल चांदावता ने पहले गेंदबाजी चुनी। खारिया खंगार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 5 विकेट खोकर 185 रन बनाए। जवाब में रोल चांदावता की टीम 11 ओवर में 89 रन पर सिमट गई। इस तरह खारिया टीम ने 96 रन से शानदार जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। मैन ऑफ द मैच अरबाज मकराना रहे, जिन्होंने 3 ओवर में 9 रन देकर 5 विकेट लिए और 11 गेंद में 33 रन बनाए। विजेता टीम को ट्रॉफी व 51 हजार रु. तथा उपविजेता को ट्रॉफी व 31 हजार रु. नकद पुरस्कार दिया गया। उन्हें 5100 रु.नकद व ट्रॉफी मिली।

दो दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी सम्पन्न, शिक्षा और प्रशासनिक विषयों पर किया गया मंथन

अवकाश प्रकरण एवं एसएनए पोर्टल, संस्था प्रधानों के दायित्वों पर चर्चा की

भास्कर न्यूज | कुचामन सिटी

कुचामन सिटी. वाकपीठ संगोष्ठी को संबोधित करते वक्ता।

ब्लॉक कुचामन सिटी के समस्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं महात्मा गांधी विद्यालयों के संस्था प्रधानों की दो दिवसीय सत्रारंभ वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन पीएम श्री जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। संगोष्ठी के प्रथम दिवस का शुभारम्भ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर लाल खोखर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरस्वती चौधरी ने की, जबकि संयोजन की जिम्मेदारी विद्यालय की प्राचार्य मंजू चौधरी ने निभाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश सिंह चौधरी एवं रामेश्वरलाल खाचरिया अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

संगोष्ठी को सफल बनाने में वाकपीठ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों बख्तावर सिंह, प्रताप सिंह, गोविंदलाल मंडावरिया एवं पूर्णाराम गुर्जर का विशेष सहयोग रहा। दो दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशासनिक विषयों पर कुल 18 वार्ताएं आयोजित की गईं। वार्ताकारों में प्रद्युम्न शर्मा, गिरधारी लाल, सत्यप्रकाश, भागचंद स्वामी, आनंदराम (संदर्भ व्यक्ति), बलवीर सिंह, अमित रुलानियां, दयाराम, दिनेशचंद्र लडना, धनेश कुमार, राजेन्द्र मुवाल एवं सुचित्रा सहित अन्य प्राचार्य एवं शिक्षाविद शामिल रहे। संगोष्ठी में कुल 74 संस्था प्रधानों ने भाग लिया। वार्ताओं के दौरान संस्था प्रधानों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर खुली चर्चा कर समाधान के सुझाव साझा किए गए। प्रमुख विषयों में प्रवेशोत्सव एवं नामांकन वृद्धि, शाला दर्पण पोर्टल का ब्लॉक एवं जिला रैंकिंग मॉड्यूल अपडेट, अवकाश प्रकरण एवं एसएनए पोर्टल, संस्था प्रधानों के दायित्व, क्रय-नीलामी एवं लेखा संबंधी प्रक्रियाएं समझाई।

न- कीर्तन किए

ी निकाली

दास महाराज, संत बालक दास महाराज , संत माधव दास, विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, निवर्तमान प्रधान सुमित्रा भींचर, मोहन सिंह चौहान, शक्ति सिंह चौहान, श्याम सुंदर पारीक, भागूराम आंवला, विजय सिंह राजपुरोहित, श्याम सुन्दर स्वामी, महेश जांगिड़, परमाराम भाकर, घासीराम भाकर, दिलीप सिंह राठौड़, गंगाराम मेघवाल, सुरेश कुमावत, रेवत सिंह चौहान, कैलाश शर्मा, विजय पारीक, अंकित तंवर, प्रवीण चौहान, राजू चौधरी, राजू जांगिड़, श्याम कुमावत, रवि मुरावतिया, सत्यवान भार्गव, रवि चौहान, बजरंग सिंह मंडोवरी, बजरंग व्यास, सीताराम सैनी, शक्ति सिंह, गौरव नाथ, मुकेश रैगर, दीनदयाल मेघवाल आदि मौजूद थे।

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001, email : rorpcb.nagaur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना:

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री किशन गोपाल शर्मा पुत्र मूलचन्द एवं सह- आवेदक श्री नंदकिशोर पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, रेफरेन्स नं. 202510000126625, एम.एल. नं. 16/ 2025 प्रस्तावित क्षेत्र- 2.3597 हेक्टेबर प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ 1,65,825 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन 1,50,000 टीपीए और मिट्टी 15,825 टीपीए, खसरा नं. 140, गांव दूजार, तहसील - लाडनूं, जिला- डीडवाना- कुचामन (राज.) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री किशन गोपाल शर्मा पुत्र मूलचन्द एवं सह आवेदक श्री नंदकिशोर पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।

3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।

4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं:- 1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट डीडवाना कुचामन। 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी। 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7. उपखण्ड अधिकारी, लाड़नू। 8. तहसीलदार, लाड़नू। 9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाड़नू। 10. ग्राम पंचायत, दुजार, तहसील लाडनू, जिला- डीडवाना- कुचामन। 11. अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील लाडनूं जिला- डीडवाना- कुचामन।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 03.06.2026 को प्रातः 10:30 AM से 11:30 AM तक, स्थान- सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील - लाडनू, जिला डीडवाना - कुचामन में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीयः (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001, email : rorpcb.nagaur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना:

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री रामेश्वरलाल माली पुत्र सोहन लाल, रेफरेंस नं. 20221000061331, एम.एल. नं. 25/2022, प्रस्तावित क्षेत्र 1.0011 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 90250 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन-85737.5 टीपीए, अपशिष्ट - 4512.5 टीपीए) और मिट्टी- 16245 टीपीए, खसरा नं. 145, गांव दूजार, तहसील- लाडनू, जिला- डीडवाना- कुचामन (राज.) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री रामेश्वरलाल माली पुत्र सोहन लाल को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।

3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।

4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं:-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, डीडवाना कुचामन। 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी। 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर। 7. उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं। 8. तहसीलदार, लाडनू। 9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं। 10. ग्राम पंचायत, दुजार, तहसील लाडनूं, जिला- डीडवाना - कुचामन। 11. अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील- लाडनूं, जिला- डीडवाना कुचामन।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 03.06.2026 को दोपहर 12:30 PM से 01:30 PM तक, स्थान- सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील- लाडनूं, जिला डीडवाना कुचामन में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीयः (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

ते टा

here else)," ...nk is a BJP ...hence the ...esident de-...nk and that ...would be ...Assembly ..., out of the ...nbly seats, ...y Congress ...ee — Deoli ...nd Niwai ...e BJP. ...ning Agra-...ilot as "de-...state chief ...tasra de-...from the

...the com-...are "not ...t also an ...declining

...osition in ...mansya ...l insults ...um have ...BJP. The ...continu-...ity and ...he BJP ...y atten-...leaders ...dhamo-...for this ...sra said.

...ial ...

...rked a ...der of ...Jully ...vern-...ault. ...ident ...Jully ...ainst ...e sec-...n the

...hem-...tors, ...man ...Min-...take ...and ...inst

...vic-...ess-...was ...said ...the ...the

...ctions: Gehlot

Press Trust of India
Jaipur, April 27

BJP NATIONAL president Nitin Nabin on Monday expressed confidence that the BJP would emerge victorious in the West Bengal Assembly elections even as former chief minister Ashok Gehlot alleged that the BJP is involved in the large-scale misuse of money and institutions.

"BJP's lotus is set to bloom in West Bengal," Nabin said at a programme in Tonk after inaugurating the district party office.

Advising party workers to work with diligence and determination, Nabin stated that the party must avoid taking 'short-cuts' in politics. He also assured that the BJP would fulfil its commitment regarding the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' when the appropriate time arrives.

Nabin noted that even though the BJP governance has been expanding, the party still has further ground to cover.

"Given the immense hard work and toil put in by BJP workers in West Bengal, and the manner in which the people of West Bengal have taken to the streets to protest against the governance... I assure you that on May 4 (the day of vote counting), the BJP's lotus will bloom in West Bengal as well, and the saffron flag will fly high," he said.

He claimed that the people of West Bengal are fed up with the prevailing government. "The government that came to power under the slogan of 'Maa, Maati, aur Manush' (mother, soil, and people) has, in reality, betrayed the very 'Maa, Maati, aur Manush' it pledged to serve," Nabin said.

"However, thanks to the struggles and sacrifices of BJP workers, the moment has finally arrived; rest assured that once the voting concludes, the BJP will form the government there with a resounding majority," he added.

The BJP chief also accused the opposition of attempting to deprive women of their rightful entitlements by opposing the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. "While we are striving to enhance women's representation and secure their rights, our colleagues in Congress have actively worked to obstruct this process," he said.

Calling upon party workers to demonstrate diligence and hard work, Naveen said that politics is not a '100-metre dash' where speed is the sole test; rather, politics is a 'long-distance race' where endurance (stamina) is put to the test.

"Therefore, we must resolve to work tirelessly and with unwavering dedication to elevate our party to new heights and milestones every single day," he said.

Speaking to reporters at Jaipur airport after returning from West Bengal, Gehlot stated that predicting the electoral outcome at this stage is difficult. "Wait until the 4th. It is a close contest, and making any prediction right now is not possible," he said.

He further asserted, "The BJP is misusing money to an unprecedented extent and also misusing the Election Commission to a great degree. Since Independence, the role of the Election Commission in Bengal this time has created an atmosphere of intimidation that has never been seen before. The intimidation concerning the SIR is a separate issue."

Gehlot accused the Election Commission of India (ECI) of failing to ensure a level playing field. "The primary duty of the ECI is to safeguard democracy by ensuring free and fair elections, regardless of who wins," he emphasised.

Additionally, he claimed that a significant number of eligible voters were unable to cast their votes.

"If a person who is eligible to vote cannot do so, it raises serious concerns about the credibility of the electoral process," he stated.

He alleged that security deployments and other measures were being used to influence voters, creating an atmosphere of fear.

Supporters greet BJP chief Nitin Nabin in Jaipur, Monday. ROHIT JAIN PARAS

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road,
Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री किशन गोपाल शर्मा पुत्र मूलचन्द एवं सह-आवेदक श्री नंदकिशोर पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, रेफरेन्स नं. 202510000126625, एम.एल. नं. 16/2025, प्रस्तावित क्षेत्र- 2.3597 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ 1,65,825 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन- 1,50,000 टीपीए और मिट्टी 15,825 टीपीए, खसरा नं. 140, गांव दूजार, तहसील-लाडनूं, जिला- डीडवाना-कुचामन (राज.) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री किशन गोपाल शर्मा पुत्र मूलचन्द एवं सह-आवेदक श्री नंदकिशोर पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं:-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन ।
5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
7. उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं।
8. तहसीलदार, लाडनू।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं।
10. ग्राम पंचायत, दुजार, तहसील लाडनू, जिला- डीडवाना-कुचामन ।
11. अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील लाडनूं, जिला- डीडवाना-कुचामन ।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 03.06.2026 को प्रातः 10:30 AM से 11:30 AM तक, स्थान- सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील-लाडनू, जिला डीडवाना-कुचामन में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

हस्ता./-(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road,
Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री रामेश्वरलाल माली पुत्र सोहन लाल, रेफरेंस नं. 20221000061331, एम.एल. नं. 25/2022, प्रस्तावित क्षेत्र- 1.0011 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 90250 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन-85737.5 टीपीए, अपशिष्ट-4512.5 टीपीए) और मिट्टी- 16245 टीपीए, खसरा नं. 145, गांव दूजार, तहसील-लाडनूं, जिला- डीडवाना-कुचामन (राज.) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री रामेश्वरलाल माली पुत्र सोहन लाल को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं:-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन ।
5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
7. उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं।
8. तहसीलदार, लाडनू।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनू।
10. ग्राम पंचायत, दुजार, तहसील लाडनू, जिला- डीडवाना-कुचामन ।
11. अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील- लाडनूं, जिला- डीडवाना-कुचामन ।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 03.06.2026 को दोपहरः 12:30 PM से 01:30 PM तक, स्थान- सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत दुजार, तहसील-लाडनू, जिला डीडवाना-कुचामन में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

हस्ता./-(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

EXPRESS
Careers

भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-3 जोधपुर साउथ
प्रथम तल, जालोरी गेट एस बी आई ...

Gautam Buddha University